

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांक:-एफ 9/सहायता/2022/6040

दिनांक:-07/11/2022

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2022 के दौरान बारां जिले में हुई अतिवृष्टि/बाढ़/जलप्लावन के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के तत्काल रेस्टोरेशन हेतु शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ8(21)आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/ 2022/12541-49 दिनांक 31.10.2022 से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 66/2022-23 के अनुसार बजट मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02-बाढ़, चक्रवात आदि, 106- खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनस्थापना, 08-बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनस्थापना 01- सड़कों की मरम्मत एवं पुनस्थापना, 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)के अन्तर्गत निम्नांकित मरम्मत कार्य के लिए 921.55 लाख की जिला स्तरीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बारां को निर्देशित किया जाता है कि निम्न कार्यो की तकनीकी स्वीकृति अविलम्ब जारी कर भिजवाए।


कार्यकारी एजेन्सी- अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद

क्र.सं.	क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति लाखों में
1	समरानियां से नाटई अजरोंडा	5.40
2	कस्बाथाना से बमनगवां	3.00
3	तिलगवां से पुरैनी टाण्डा कछियान	6.72
4	एन.एच.-27 से देवरी उपरेटी	4.80
5	बीलखेडा माल से गोयरा	3.00
6	गायेरा से होडापुरा	2.40
7	एन.एच.-27 से खाण्डा सहरोल	1.92
8	शाहाबाद से सहरोल तलहेटी	1.50
9	मुण्डियर से कलोनी	1.20
10	सम्पर्क सड़क बसेली	1.68
11	चन्दनहेडा से खरदा	3.60
12	बीलखेडा माल से सड़	1.87
13	बल्हारपुर से मण्डी सहजना	3.00
14	रामपुर उपरेटी से बल्हारपुर	0.90
15	कस्बाथाना-आगर रोड़ से सेमली तलहेटी	0.73
16	खटका गणेशपुरा से सेमरा	0.94
17	समरानियां से हाटरी वाया महोदरा	4.80
18	कस्बाथाना से आगर	5.40
19	देवरी-चौराखाड़ी से पठारी-सांधरी	3.90
20	कस्बाथाना से कालीमाता जी मंदिर	0.30
21	एन.एच.-27 से सनवाड़ा	3.60
22	सम्पर्क सड़क शुभधरा	1.20
23	कस्बाथाना से टाण्डा अहिरान	2.46
24	देवरी से बमनगवां वाया तिलगवां	5.10
25	बीलखेडा डांग से पाटन	4.20
26	गदरेटा से निवारी	3.60
27	बालाचार-खटका सेमली फाटक	6.60
28	सम्पर्क सड़क धतुरिया	0.30
29	मुण्डियर से राजपुर वैहठा अप टू स्टेट बोर्डर	10.80
30	सम्पर्क सड़क बरारा	1.20

31	सम्पर्क सड़क कृपालपुर	1.80
32	खाण्डा सहरोल से बिची	3.00
33	शाहाबाद से मझारी	4.80
34	एन.एच.-76 कि.मी. 573/0 से घुवा	4.20
योग		109.92

उक्त कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की गई है, जिनकी पूर्ण पालना की जावे :-


- कार्यकारी एजेन्सी अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद होगी। निर्माण कार्यो का निष्पादन सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों, सार्वजनिक निर्माण विभाग वितीय एवं लेखा नियमों, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
- इस स्वीकृति के तहत प्रारम्भ कार्य 30 दिवस के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जावे। उसके बाद भी कोई कार्य अधूरा रहता है तो उसे विभागीय बजट मद से ही पूर्ण करना होगा।
- सम्पादित कार्यो की एवज में देय राशि हेतु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्य को वितीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण किया जाकर कार्यवार व्यय राशि का पूर्ण विवरण, कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् का फोटोग्राफ, कार्य पूर्णता उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं माप पुस्तिकाओं में दर्ज मूल्यांकन की छाया प्रतियों के साथ बिल कार्य समाप्ति के एक सप्ताह में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- डिफेक्ट लाईबिलिटी अनुबन्ध में जो क्षति अनुबन्ध के अनुसार संवेदक के व्यय पर मरम्मत योग्य है उन कार्यो पर मरम्मत का व्यय इस स्वीकृति एवं राशि के अधीन नहीं करवाया जावे।
- उक्त स्वीकृत कार्यो को करवाते समय इस बात को सुनिश्चित किया जावे कि मानसून के दौरान बरसात आने के कारण किया जा रहा व्यय निरर्थक न हो जावे।
- यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि प्रस्तावित सड़कों/पुलों का उपयोग जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
- कार्यकारी संस्था के पास संधारण एवं मरम्मत मद से उपलब्ध राशि के उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त ही इस मद की राशि का उपयोग किया जावेगा।
- कार्यो का निष्पादन वितीय स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही किया जावेगा।
- एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के दिशानिर्देशों एवं नौम्स की पालना की जाना आवश्यक होगा। सहायता विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के निर्देशों की पालना आवश्यक होगी।
- स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- "कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है" इस आशय की उपखण्ड स्तरीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जावेगा।


 (नरेन्द्र गुप्ता)
 जिला कलक्टर, बारां
 दिनांक:- 01/11/2022

क्रमांक:- एफ 9/सहायता/2022/6041 - 48

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बारां को उक्त कार्यो की अविलम्ब तकनीकी स्वीकृति जारी करवाने हेतु।
- उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला बारां।
- अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।
- कोषाधिकारी, बारां।
- प्रभारी अधिकारी, लेखा/केश अनुभाग, जिला कलक्टर, बारां।


 जिला कलक्टर
 बारां